रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1992/चैत्र 10, 1914
No. 52] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1992/CHAITRA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1992

सं. 5(1)/एम डी ए/92:—भारत सरकार ने विपणन विकास सहायता (एम डी ए) सुधार समिति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देने का निर्णय लिया है। यह समिति पूर्ववर्ती वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग) के दिनांक 5-7-1963 के संकल्प सं. 10(1)/63-ई पी. (सम.)/2 के अनुसार गठित की गई थी और इसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे:

(1) *सचिव, भारत सरकार — अध्यक्ष
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

(2) सचिव, भारत सरकार — सदस्य
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

(3) सचिव, भारत सरकार — सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग

(*जनवरी, 1970 से इस मंत्रालय के सचिव समिति के अध्यक्ष हैं)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

ए. के. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 26th March, 1992

No. 5(1)|MDA|92.—The Government of India have decided to abolish with immediate effect, the MDA Main Committee, consisting of the undermentioned officers, constituted vide erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Deptt. of International Trade), Resolution No. 10(1)|63-EP(Coord)|II dated 05-07-1963.

(1) *Secretary to the Govt. of India — Chairman
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs.

(2) Secretary to the Govt. of India — Member
Ministry of Finance,
Department of Expenditure.

(3) Secretary to the Govt. of India — Member
Ministry of Commerce and Industry,
Department of International Trade.

(*From January, 1970 the Secretary of this Ministry is the Chairman of the Committee).

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

A. K. GOSWAMI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992